

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

दिशा-निर्देश

क्रमांक :- प.5 (294) / निपेवि/नियम/2017/ 1991-2065-H दिनांक : 07-12-2017


विषय:- दिनांक 01.10.2017 से पूर्व सेवानिवृत्त/मृत राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन बाबत्।
संदर्भ:- वित्त (नियम) विभाग, जयपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ. 12 (6)/एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 05.12.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्रांक 1511-80-एच दिनांक 08.11.2017 की निरन्तरता में पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन में दिनांक 01.10.2017 से संशोधन करने हेतु पेंशन वितरण बैंको एवं कोषाधिकारियों को निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. प्रासंगिक ज्ञापन दिनांक 30.10.2017 के पेरा 13 एवं 14 में वित्त विभाग द्वारा जो संशोधन किये गये हैं, के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन संशोधन करने बाबत् पेंशन वितरण हेतु अधिकृत बैंको को अधिकृत किया गया है। कृपया ज्ञापन दिनांक 05.12.2017 के बिन्दू संख्या 1 से 11 में जारी निर्देशों के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन संशोधन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
2. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत प्राप्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अनुसार किया जावे।
3. पेंशन संशोधन के समय पेंशनर के पीपीओ में वर्णित पारिवारिक पेंशन को भी सातवे वेतन आयोग के अनुसार संशोधित करने की कार्यवाही आवश्यक रूप से की जावे।

संलग्न :- ज्ञापन दिनांक 30.10.2017 एवं 05.12.2017 की प्रति

भवदीय,

(परमेश्वरी चौधरी)
निदेशक

क्रमांक :- प.5 (294) /निपेवि/नियम/2017/ 1991-2065 H दिनांक : 07-12-2017

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), एस.बी.आई. तिलक मार्ग, जयपुर।
2. महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, 13, बडौदा भवन क्षेत्रीय कार्यालय पंचवी मंजिल एयरपोर्ट प्लाजा टोंक रोड़, दुर्गापुरा, जयपुर।
3. सहायक उप महाप्रबन्धक, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आनन्द भवन, संसारचन्द्र रोड़, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक, यू.को.बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, आर्केड इन्टरनेशनल, अजमेर रोड़, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, किसान भवन, लाल कोठी, सब्जी मण्डी, जयपुर।
6. सहायक महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, एलआईसी बिल्डिंग जीवन निधि भवन अम्बेडकर सर्किल भवानी सिंह रोड़ जयपुर।
7. सर्किल मैनेजर (फील्ड महाप्रबन्धक), पंजाब नेशनल बैंक 2, नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक (उप महाप्रबन्धक), ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आनन्द भवन, द्वितीय तल, संसारचन्द्र रोड़, जयपुर।
9. जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, बी-4 सेक्टर 2 जवाहर नगर जयपुर (व्हाइट हाउस के पास)
10. मुख्य प्रबन्धक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र- 6 वां तल फॉर्च्यून हाइट्स सी-94, मुख्य सुभाष मार्ग अहिंसा सर्किल सी-स्कीम जयपुर।
11. उपमहाप्रबन्धक (बैंकिंग एण्ड ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस- I) एसबीआई, नेहरू पैलेस टोंक रोड़ जयपुर।
12. सहायक महाप्रबन्धक (CPPC), SBI, एसएमएस हाईवे, चौडा रास्ता जयपुर।
13. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त कोषाधिकारी,
15. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर को उनके ज्ञापन एफ (12) एफ. डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 05.12.2017 के क्रम में
16. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों/उप कोषाधिकारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।
17. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग क्षे. का.(राज.)
18. उप निदेशक/एसीपी अनुभाग, कार्यालय हाजा, को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
19. संयुक्त /सहा./उपनिदेशक, समस्त अनुभाग.....कार्यालय हाजा।
- ✓ 20. निजी सचिव /निजी सहायक कार्यालय हाजा।

संलग्न :- ज्ञापन दिनांक 30.10.2017 एवं 05.12.2017 की प्रति


संयुक्त निदेशक (नियम)